न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत निमेडा

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 213/2014

रज्जु दिनांकः 08/10/2014

निर्णय दिनांक : 11/05 /2017

रामनारायण पुत्र गोपी जाति माली निवासीः गडूडा की ढाणी गडूडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.......प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बडवा, निवासीः निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. रतनलाल पुत्र हीरा
4. हनुमान पुत्र चंदा
5. रामस्वरूप द0पु0 काना
6. सोहनी बेवा श्योजी

समस्त जाति माली, निवासीः गडूडा की ढाणी गडूडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त उनवानी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वाद व प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूरी पूरी आशा है। आराजी खसरा नंबर 2494/2 रकबा 1 बिस्वा बंजड 2 की भूमि वाके ग्राम निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है उपरोक्त भूमि की किस्म बजड 2 दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियो की गलती से गैरमुमकिन चाह की जगह बंजड 2 दर्ज हो गयी जिसको विवादित भूमि से संबोधित किया गया है। प्रार्थी व उसके भाई अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2500, 2501 व 2502 वाके ग्राम निमेडा में स्थित है जिसका एक ही जाव है जिसको प्रार्थी व अप्रार्थी 3 लगायत 6 संयुक्त रूप से मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है खसरा नंबर 2501 की पश्चिमी मेर पर खसरा नंबर 2494/2 की पूर्वी मेर पर प्रार्थी व अप्रार्थी 3 लगायत 6 के पूर्वजो से कुंआ (चाह) बना हुआ है जो पर्चा सैटलमेनट से पूर्व ही बना हुआ था जिसका प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 एवं उनके पूर्वज अपनी उपरोक्त भूमि को उक्त चाह से सिंचाई करते थे जो वर्तमान में आज तक करते चले आ रहे है तथा उक्त चाह का उपयोग उपभोग प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 करते चले आ रहे है। चाह का जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की खातेदारी में स्थित है तथा मौके पर उनके पूर्वजो से चाह बना हुआ है जिसका नक्शा ट्रेस में कुये का इन्द्राज है उसके आधार 1 बिस्वा भूमि चाह के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 तथा उनके पूर्वजो के नाम दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती से उक्त चाह की जगह 1 बिस्वा किस्म बंजड 2 दर्ज कर दी गई जबकि उक्त कोई बंजड भूमि नहीं होकर चाह कुंआ स्थित है जो कि नक्शा ट्रेस में कुंये के चिन्ह से स्पष्ट है उक्त तथ्य की जानकारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 को आज तक कभी नहीं हुई चूंकि वे उक्त चाह का वर्षो से अपने पूर्वजो के समय से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2494/1 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि ग्राम निमेडा में स्थित है जिसके लगवा ही पूर्व दिशा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की भूमि खसरा नंबर 2501 स्थित है जिसकी मेर पर उक्त चाह स्थित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में कुंये का अंकन नहीं है लेकिन नक्शा ट्रेस में इसका स्पष्ट अंकन है राजस्व रिकॉर्ड में गलती से किस्म बंजड 2 दर्ज हो गयी जिसका उक्त गलत किस्म दर्ज होने से पिछले कुछ समय से अप्रार्थी संख्या 2 की नियत में फितुर उत्पन हो गया है और वह उक्त किस्म दर्ज होने से पिछले कुछ समय से अप्रार्थी संख्या 2 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है और वह उक्त किस्म दर्ज होने से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 के

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उक्त चाह के उपयोग उपभोग में मजाहमत उत्पन्न करने लगा है तथा उक्त चाह पर अपना हक जताने लगा है तथा यह शौहरत बना रखी है कि उक्त चाह उसका है तथा वह उसका भविष्य में प्रार्थी व अप्राथ्री संख्या 3 लगायत 6 को उपयोग उपभोग में नहीं लेने देगा। खसरा नंबर 2494/2 रकबा 1 बिस्वा किस्म बंजड 2 राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी व अप्रार्थी 3 लगायत 6 के नाम दर्ज है उक्त खसरा नंबर की किस्म वास्तविक रूप से मौके पर बंजड 2 न होकर गैरमुमकिन चाह है जो मौके पर पर्चा सैटलमेन्ट के समय से स्थित है तथा जिसका नक्शा ट्रेस में भी स्पष्ट इन्द्राज है जिसका उक्त खसरा नंबर की किस्म गैरमुमकिन चाह दर्ज होनी चाहिये लेकिन वरवक्त जारी होने पर्चा उक्त खसरा नंबर 2494/2 रकबा 1 बिस्वा किस्म बंजड 2 राजस्व कर्मचारियो की गलती से दर्ज हो गयी जो काबिले दुरूस्त है जिसके लिये वाद दुरूस्ती व प्रार्थना पत्र टीआई पेश करना आवश्यक हुआ है। चाह के लगवा पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2494/1 स्थित है जिसकी अभी नियत में फितुर होने से वह लगातार प्रार्थी व अप्रार्थी 3 लगायत 6 के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है जिसके लिये दिनांक 06/01/2014 को फसल सिंचाई के लिये प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 पूर्व की भांति अपने उक्त चाह का उपयोग उपभोग करते चले आं रहे थे तो अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा उन्हे कहा गया कि वह उक्त चाह का उन्हे उपयोग उपभोग नहीं करने देगा तथा वह उसकी खातेदारी का है अब वह उसका उपयोग उपभोग करेगा तथा प्रार्थी के साथ झगडा फंसाद करने पर उतारू हो गया अप्रार्थी संख्या 2 के उक्त कथन पर प्रार्थी को बडा आश्चर्य हुआ और उसके द्वारा समस्त दस्तावेजात की नकल प्राप्त की तो वास्तव में उनकी उक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2494/2 जो कि किस्त चाह की जगह बंजड 2 दर्ज है जिससे प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह उक्त किस्म को दुरूस्त करावे तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। अप्रार्थी किस्म को दुरूस्त करावे तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। अप्रार्थी संख्या 2 अपने उपरोक्त उद्‌देश्य की पूर्ति में सफल हो गये तो अपनी चाह से वंचित हो जावेगा तथा उन्हे ऐसी असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी तथा व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी व खर्चे से जेरबार होगे जिस हेतु प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थी संख्या 2 को वाद के निर्णय तक़ जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित भूमि में

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से मजाहमत नही करे न प्रार्थी को उसके खसरा नंबर 2494/2 रकबा 1 बिस्वा किस्म चाह (कुंआ) के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे न सिंचाई व काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे न अन्य से करावे मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली दिनांक 08.10.2014 को रिपोर्ट होकर न्यायालय में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित पाया जाकर अप्रार्थी को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2494/2 रकबा 1 बिस्वा भूमि ग्राम निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाकर रखते हुए प्रार्थी को मौके पर मौजूद कुएं के उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

दिनांक 24.11.2016 को अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 ने जवाब पेश करने से इंकार किया। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 का जवाब बंद किया गया। दिनांक 15.12.2016 को वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी खारिज किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ज़वाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये बावजूद जवाब प्रस्तुत न करने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब बंद किया गया।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, दावा पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात खसरा नंबर 2494/2 रकबा 1 बिस्वा किस्म चाह (कुंआ) में पक्षकारान का हक हिस्सा निहित है।

चूंकि प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। इस कारण न्यायालय के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नंबर 2494/2 रकबा 1 बिस्वा ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं कुएं के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/05/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट निमेडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी